

आदेश

श्री विकास पुत्र श्री कृष्ण कुमार, पंच, ग्राम पंचायत गुडा, वार्ड नं० 07, खण्ड सिवानी, जिला भिवानी द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/सम्पन्न पत्र दिनांक 03.07.2025 जो उपायुक्त, भिवानी के सिफारिश पत्र क्रमांक 8332/पंचायत/पीए दिनांक 06.08.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

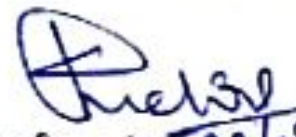
चण्डीगढ़, दिनांक
26.08.2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पू० क्रमांक ई०सी०ए००२-2025/ 41190-96 दिनांक : 11/9/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
 2. उपायुक्त, भिवानी के सिफारिश पत्र क्रमांक 8332/पंचायत/पीए दिनांक 06.08.2025 के संदर्भ में।
 3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी।
 4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिवानी (जिला भिवानी)।
 5. सम्पन्न, ग्राम पंचायत गुडा, खण्ड सिवानी, जिला भिवानी।
 6. श्री विकास पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी गांव गुडा, तहसील सिवानी, जिला भिवानी।
- आई०टी० सैल, मुख्यालय।


अधीक्षक (चु०) 29/08/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Mr. Gaurav / Mr. Mohit